

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A630990



मोहन

मोहन



उमर

विक्रय-पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

- | | |
|--|------------------------|
| 1. भूमि का प्रकार | : कृषि |
| 2. परगना | : मोहनलालगंज |
| 3. ग्राम | : सौनई कंजेहरा |
| 4. सम्पत्ति का विवरण
(सम्पत्ति नं०) | : भूमि खसरा संख्या-213 |
| 5. मापन की इकाई | : हेक्टेअर |
| 6. विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल | : 0.425 हेक्टेअर |



मोहन

मोहनलालगंज



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 2 -

- | | | |
|-----|---------------------|-------------------|
| 7. | सम्पत्ति का प्रकार | : कृषि |
| 8. | पेड़ों का मूल्यांकन | : कुछ नहीं |
| 9. | बोरिंग/कुआ/अन्य | : कुछ नहीं |
| 10. | प्रतिफल की धनराशि | : रू० 12,51,640/- |
| 11. | मालियत | : रू० 5,10,000/- |
| 12. | स्टाम्प | : रू० 62,600/- |

चौहद्दी

खसरा नं०-213

- | | |
|--------|-------------------------|
| पूरब | : खसरा संख्या-212 |
| पश्चिम | : खसरा संख्या-221 |
| उत्तर | : रेलवे लाईन |
| दक्षिण | : खसरा संख्या-214 व 220 |



उत्तर प्रदेश



रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 3 -

प्रथम पक्ष की संख्या-01

द्वितीय पक्ष की संख्या-01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
अशोक पुत्र छेदा, निवासी- ग्राम- सौनई कंजेहरा, परगना व तहसील- मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ। व्यवसाय - कृषि	:	उमेश कुमार पुत्र मुन्ना, निवासी-14/355, पुराना बर्फखाना, उदयगंज, नई बस्ती, लखनऊ। व्यवसाय - कृषि

P अं
अशोक

उमेश कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 4 -

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख अशोक पुत्र छेदा, निवासी- ग्राम- सौनई कंजेहरा, परगना व तहसील- मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् उमेश कुमार पुत्र मुन्ना, निवासी-14/355, पुराना बर्फखाना, उदयगंज, नई बस्ती, लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या-213 रकबा 1.2750 हेक्टेअर का 1/3 भाग यानि कुल विक्रीत रकबा 0.425 हेक्टेअर,

A ३

अशोक

उमेश कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 5 -

स्थित-ग्राम- सौनई कंजेहरा, परगना व तहसील- मोहनलालगंज, जिला लखनऊ, का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 00020 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में को हो गया है, उक्त भूमि विक्रेता को विरासत में मिली है विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहे हैं विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि

A 30
अशोक

18/5/2010



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 6 -

उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रु0 12,51,640/- (रुपया बारह लाख इक्यावन हजार छः सौ चालीस मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता

A से



श्रीराम

जयश्रीराम



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 7 -

द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता

A सं

भरतीक

जोश कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 8 -

विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेगा एवं न ही कोई मांग कर सकेगा और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत

A. श्री

 हरीश च

उमेश कुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 9 -

वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगा, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

दि ३०



इसराफ

उमर कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 10 -

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम सौनई कंजेहरा, तहसील-मोहनलालगंज के 'अतिविशिष्ट ग्राम' के अन्तर्गत आता है, जिसका निर्धारित सरकिल रेट रु0 12,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.425 हेक्टेअर की मालियत रु0 5,10,000/- होता है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 62,600/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी



जमेश कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 11 -

लिनक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

सि. अं.

 कार्यालय

उमेश कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 12 -

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा संख्या-213 रकबा 1.2750 हेक्टेअर का 1/3 भाग यानि कुल विक्रीत रकबा 0.425 हेक्टेअर, स्थित-ग्राम- सौनई कंजेहरा, परगना व तहसील- मोहनलालगंज, जिला लखनऊ।

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. रू0 10,91,640/- (रूपया दस लाख इक्यानबे हजार छः सौ चालीस मात्र) जरिये चेक संख्या- 363502 दिनांकित 21.05.2010 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये।
2. रू0 1,60,000/- (रूपया एक लाख साठ हजार मात्र) नगद विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये।



उमेश कुमार

100 21.07.10
 उमेश कुमार जी. मु. ल.
 नि. लखनऊ

विक्रय पत्र

1,251,640.00/ 510,000.00 10,000.00 20 10,020.00 1,000

फीट रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग प्रबल नगण्य

प्रतिफल गाबियत

श्री अशोक
 पुत्र श्री छेदा
 व्यवसाय कृषि

नि. लखनऊ

निवासी ग्राम सीनई कंजेहरा प.त.मोहनलालगंज जि-लखनऊ

अस्थायी पत्ता

ने यह लेखपत्र इन कारणात्

दिनांक 21/5/2010 समय 6:23 PM

वकील/निर्वाहक/पं. लखनऊ

नि. लखनऊ



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अर्पिता शर्मा पाण्डेय
 उ.नि.मोहनलालगंज

लखनऊ

21/5/2010

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनिश्चित व यथार्थ मजसूम व प्राप्ता धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

प्रेता

श्री अशोक
 पुत्र श्री छेदा
 पेशा कृषि

नि. लखनऊ

श्री उमेश कुमार
 पुत्र श्री मुन्ना
 पेशा कृषि

उमेश कुमार

निवासी ग्राम सीनई कंजेहरा प.त.मोहनलालगंज
 जि-लखनऊ

निवासी 14/355 पुराना बर्फखाना उदयगंज नई बस्ती
 लखनऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया।

दिनांकी परवान श्री पंकज झा

पुत्र श्री राम नरेश झा

पेशा व्यापार

निवासी लालबाग लखनऊ

व श्री लक्ष्मण

पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद यादव

पेशा व्यापार

निवासी मादरमुक पुरवा लखनऊ

ने की।

प्रत्यक्षतः मद गाबियतक निशान अणुद नियमानुसार लिया गये है।

नि. लखनऊ

नि. लखनऊ



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अर्पिता शर्मा पाण्डेय
 उ.नि.मोहनलालगंज
 लखनऊ

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 12,51,640/- (रुपया बारह लाख इक्कावन हजार छः सौ चालीस मात्र) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं

नोट:- भुगतान के विवरण में चेक संख्या काले पेन से लिखा गया है।

लखनऊ

दिनांक : 21.05.2010

गवाह


1. पं. ज. भा. 5/0
राम रेशम
लालबाग (क. 448)


A. नं. विक्रेता

अरवि

2. ल. 9/1/0
लक्ष्मण पुत्र रामेश्वर प्रसाद यादव
सि मादरमऊ पुरवा ।

क्रेता
ज. 21/कुमा. 2

टाईपकर्ता

(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(मोहित मिश्रा)
एडवोकेट

विक्रेता

Registration No.: 3054

Year: 2010

Book No.: 1

0101 अशोक

उदा

ग्राम सोनई कंजेश्वरा प.त.मोहनलालगज जि-लखनऊ

कृषि




विक्रीत भूमि का नक्शा

विक्रेता का नाम - सराफा उब देदा

क्रेता का नाम - उमेश कुमार

खसरा संख्या- 213

ग्राम का नाम - सोनई कंजहरा



A
सराफा

क्रेता
उमेश कुमार

क्रेता

Registration No. : 3054

Year : 2010

Book No. : 1

0201 रामेश कुमार

पुत्र

14735 पुराना बर्फखाना उदयगञ्ज शहीद मस्जिद लखनऊ

कृषि



रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु


फिंगर्स प्रिन्ट्स

विक्रेता का नाम व पता:- अशोक पुत्र छेदा, निवासी- ग्राम- सौनई कंजेहरा, परगना व तहसील- मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




अशोक
विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पता-उमेश कुमार पुत्र मुन्ना, निवासी-14/355, पुराना बर्फखाना, उदयगंज, नई बस्ती, लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




उमेश कुमार
क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 21/05/2010 को
वही सं. 1 जिल्द सं. 2154
पृष्ठ सं. 99 से 128 पर क्रमांक 3054

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



अर्पिता शर्मा पाण्डेय
उ.नि.मोहनलालगंज
लखनऊ
21/5/2010

